F. No. 3(4)/E.II(A)/99 Government of India Ministry of Finance Department of Expenditure

> North Block, New Delhi January 09, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Inclusion of new models of Air Conditioned Cars on the Rate Contract of DGS&D.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even no. dated 11.12.2003 regarding list of approved models for use as staff car by Ministries/Departments and to state that Ford Icon BSIII (Petrol), Accent GLE BSIII (Petrol) and ISZ1800 MPFI (Petrol) have also been included in the list of approved models of staff car (in AC category) to be purchased through DGS&D rate contract.

It is reiterated that the approved models of AC category of staff cars can be used only by the Ministers and Officers of the level of Secretary to the Government of India and above.

ार्ट ति बाहराबी जाती है कि वातानुकाशित वर्ग की स्टाफ कार्यों के अनुमोदिल मोंडलों का उपयोग (R.S.R. Murthy)

वि और उनसे उम्पूर के इतर के अधिकारियों द्वारा ही किया जा सकता है। Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments of Govt. of India

F. No. 3(4)/E.II(A)/99

Copy forwarded to:

C&AG, U.P.S.C, etc. as per standard list.

All the Financial Advisers.

(R.S.R. Murthy) **Under Secretary**

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक सूची के अनुसार ।

फा.सं.3(4)/संस्था.II(क)/99 भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग

> नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली जनवरी 09, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषयः पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डी.जी.एस.एण्ड डी.) की संविदा दर में वातानुकूलित कारों के नए मॉडलों को शामिल करना ।

अधोहस्ताक्षरी को मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्टाफ कार के तौर पर उपयोग हेतु अनुमोदित मॉडलों की सूची के बारे में इस विभाग के दिनांक 11.12.2003 के समसंख्यक का.ज्ञा. का हवाला देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय की संविदा दर के जिए खरीदी जाने वाली स्टाफ कार (वातानुकूलित वर्ग) के अनुमोदित मॉडलों की सूची में फोर्ड आइकन भारत स्टेज III (बी.एस. III) (पेट्रोल) ऐक्सेंट जी.एल.ई. बी.एस. III (पेट्रोल) तथा आई.एस.जेड.1800 एम.पी.एफ.आई. (पेट्रोल) को भी शामिल कर लिया गया है।

2. यह बात दोहरायी जाती है कि वातानुकूलित वर्ग की स्टाफ कारों के अनुमोदित मॉडलों का उपयोग केवल मंत्रियों तथा भारत सरकार में सचिव और उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों द्वारा ही किया जा सकता है।

> ३(१६ १९५ ३/१६ भूत) (आर.एस.आर. मूर्ति) अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

फा.सं.3(4)/संस्था.II(क)/99

प्रतिलिपि प्रेषित:

North Bleck, New Delhi

- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक सूची के अनुसार।
- सभी विलीय सलाहकार ।

आर.एस.आर. मूर्ति) अवर सचिव, भारत सरकार